उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0–15/2012–13

सीताराम मिर्धा

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
09/04/22	सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।
	वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता सीताराम मिर्धा, पे0–स्व0 कारू मिर्धा, सा0–सन्होली, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।
	आदेश दिनांक–06.04.2015 के द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुपस्थिति के कारण वाद की प्रक्रिया को खारिज किया गया था। बाद में रिविजनकर्त्ता के पुनःस्थापन आवेदन पर अपील वाद की प्रक्रिया चालू किया गया।
	रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–07/2010–11 एवं 75/2007–08 के आदेश दिनांक–21.07.2012 के विरूद्ध दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–07/2010–11 एवं 75/2007–08 के आदेश दिनांक–21.07.2012 के द्वारा रिविजनकर्त्ता सीताराम मिर्धा के आवेदन को खारिज किया है।
	रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–21.07.2012 के विरूद्ध गरीबी के कारण समय पर अपील वाद दायर नहीं कर सका था। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 59 के तहत रिविजन वाद दायर किया है। उनका आगे कथन है कि मौजा–सन्होली नं0–180, 178 जमाबंदी नं0–9 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत खूबलू मिर्धा, पे0–कान्हू मिर्धा वो भीखू मिर्धा, पे0–विरजू मिर्धा वो पोषण मिर्धा, पे0–नन्कू मिर्धा के नाम से दर्ज है। रिविजनकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत खूबलू मिर्धा के परपोता है। उत्तरवादी तृतीय पक्ष की सहायता से उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त जमाबंदी सं0–9 के दाग नं0–255, 605, 602 रकवा क्रमशः 00–05–15 धुर, 02–11–03 धुर, 02–15–19 धुर

जमीन संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से कब्जा किया गया है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था और उक्त जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी रसीद तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी दाखिल किया था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन किये जाने पर उच्छेद नहीं किया गया है। जबकि निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को उक्त जमीन से उच्छेद कर सकता था। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

रिविजन वाद की प्रक्रिया चलने के दरम्यान आदेश दिनांक–20.01.2014 के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 से 04 तक गोरे यादव वो बबलू यादव वो छेदी यादव वो पट्टे यादव का नाम प्रक्रिया से हटाया गया है।

उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिविजनकर्त्ता को रिविजन वाद के स्थान पर अपील वाद दायर करना चाहिए था। रिविजनकर्त्ता के द्वारा रिविजन वाद दायर किया गया है। लेकिन रिविजन आवेदन के साथ काल अवधि को क्षान्त करने के लिए कोई माफी आवेदन दाखिल नहीं किया है। इसलिए लिमिटेशन के आधार पर रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन खारिज होने लायक है। उनका आगे कथन है कि मौजा–सन्होली नं0–180, 178 जमाबंदी नं0–9 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत खूबलू मिर्धा, पे0–कान्हू मिर्धा वो भीखू मिर्धा, पे0–विरजू मिर्धा वो पोषण मिर्धा, पे0–नन्कू मिर्धा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत खुबलू मिर्धा एवं पोषण मिर्धा की मृत्यु नावल्द हो गयी है। एक मात्र जमाबंदी रैयत भिखू मिर्धा के वंशज ही जीवित है। जमाबंदी रैयत खुबलू मिर्धा एवं पोषण मिर्धा की नावल्द मृत्यु के बाद जमाबंदी नं0–9 की सारी जमीन जमाबंदी रैयत भिखू मिर्धा को उत्तराधिकारी पर प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के आधार पर उनके पुत्र और पोते के दखल कब्जा में उक्त जमाबंदी की जमीन आया। उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक जमाबंदी रैयत भिखू मिर्धा के वंशज हैं। उत्तरवादी सं0–01 से 04 तक का उक्त जमीन से कोई सरोकार नहीं है और न ही उक्त जमीन के किसी भाग

पर उनलोगों का किसी भी तरह से कोई अधिकार या कब्जा है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा नोटिश दिये जाने के बाद उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक के द्वारा पंचायती कराया गया था। ग्राम पंचायत ने यह निर्णय दिया कि रिविजनकर्त्ता सिताराम गिर्धा न तो सन्होली ग्राम के हैं और न ही खुबलू गिर्धा के वंशज हैं। सिताराम गिर्धा का दावा झुठा एवं गलत है। उक्त पंचायती ज्ञापन में कई व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रकार रिविजनकर्त्ता जमाबंदी सं0–9 के कोई नहीं है और न ही उक्त जमाबंदी सं0–9 की जमीन पर उनका कब्जा रहा है। उन्होंने उक्त जमाबंदी की जमीन को हड़पने के नियत से निम्न न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया है। क्योंकि वे मूल रूप से तलखरबा गाँव के निवासी हैं। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी सं0–01 से 04 तक के द्वारा उक्त जमीन कब्जा नहीं किया गया है। बल्कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा प्रतिवादी को परेशान करने एवं साक्ष्य बनाने के उद्देश से निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया था। इसके पूर्व भी धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही करने के लिए दो बार आवेदन दायर किया था। लेकिन कार्यवाही करके उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं किया था। वर्तमान सर्वे में भी भिखू मिर्धा के पुत्र चमरू मिर्धा, हरिमोहन मिर्धा एवं श्रीमोहन मिर्धा का नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी की जमीन पर उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक का स्वामित्व एवं दखल कब्जा है। निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा वर्तमान रिविजन में उक्त जमाबंदी के वंश होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि उत्तरवादी सं0–01 से 04 तक को प्रक्रिया से हटाया गया है। केवल द्वितीय पक्ष हकदार है। उन्होंने मामले के गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने, अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–शोनहौली नं0–137–180–178 जमाबंदी नं0–09 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में खुवलु मीरदहा वलद कान्हु मीरदहा वो भीखू मीरदहा वल्द वीरजु

मीरदहा वो पोशन मीरदहा वल्द ननकु मीरदहा कौम–तुरी शा0–देह के नाम से दर्ज है। रिविजनकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत खूबलू मिर्धा के परपोता के आधार के पर उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा कर रहा है तथा उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक का कथन है कि जमाबंदी रैयत खुबलू मिर्धा एवं पोषण मिर्धा की नावल्द मृत्यु के बाद जमाबंदी नं0–9 की सारी जमीन जमाबंदी रैयत भिखू मिर्धा को उत्तराधिकारी पर प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के आधार पर उनके पुत्र और पोते उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक के दखल कब्जा में है। उत्तरवादी सं0–01 से 04 तक को प्रक्रिया से हटाया गया है। रिविजनकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–05 से 09 तक के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन पर वंशज के आधार पर दावा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह स्वत्व से संबंधित मामला है, जिसका निपटारा इस स्तर पर किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–07/2010–11 एवं 75/2007–08 के आदेश दिनांक–21.07.2012 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। डी0सी0-31 11.02.22

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:00:33 +05:30
Location: 192.168.29.8